प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बालैनी **दिनाँक 19.02.2025**

थाना बालैनी पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 21/25 धारा 65(1)/74 बीएनएस व 4(2), 7/8 पोक्सो अधिनियम से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बालैनी पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 21/25 धारा 65(1)/74 बीएनएस व 4(2), 7/8 पोक्सो अधिनियम से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

मूलचन्द पुत्र स्व0 छिद्दा निवासी ग्राम चमरावल थाना चाँदीनगर जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-प्र0नि0 श्री शैलेन्द्र मुरारी दीक्षित थाना बालैनी जनपद बागपत।
2-उ0नि0 श्री देवेन्द्र सिंह थाना बालैनी जनपद बागपत।
3-का0 368 पवन कुमार थाना बालैनी जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत   दिनाँक 19.02.2025

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 35/25 धारा 108 बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 20.01.2025 को थाना बड़ौत पर वादिया ने सूचना दी अभियुक्तों 1. सीटू, 2.महीपाल, 3.वासु, 4.आरव, 5. शालू व अन्य अज्ञात निवासीगण शाहमल कॉलोनी कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत द्वारा उसके पति वासू की हत्या कर शव को रेलवे ट्रेक शाहमल कॉलौनी के पीछे कस्बा बडौत पर फेंक दिया है। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बड़ौत पर मु0अ0सं0 35/25 धारा 191(2)/191(3)/103(1)/238 बीएनएस पंजीकृत किया गया।

नोट- उक्त अभियोग की विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्य के आधार पर धारा 191(2)/191(3)/103(1)/238 बीएनएस का विलोप किया गया तथा धारा 108 बीएनएस की वृद्धि की गयी तथा दिनांक 14.02.2025 को 01 अभियुक्त जयपाल सिंह पुत्र स्व0 रतनलाल निवासी शाहमल एन्क्लेव कस्बा व थाना बड़ौत जनपद बागपत को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 35/25 धारा 108 बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

पिन्टू सिंह पुत्र सत्यपाल सिंह निवासी शाहमल एन्क्लेव कस्बा व थाना बड़ौत जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-निरीक्षक अपराध श्री वीरेन्द्र सिंह थाना बडौत।
2-उ0नि0 श्री सुरेश कुमार थाना बडौत।
3-है0का0 125 धर्मवीर सिंह थाना बडौत।
4-है0का0 311 आदेश कुमार थाना बड़ौत।

Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE

"ऑपरेशन कन्विक्शन" के क्रम में गैर-इरादतन हत्या करने के आरोपी सलीम व भूरा को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर प्रत्येक को हुई 10 वर्ष का कठोर कारावास व 28 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि वर्ष 2013 में अभियुक्त सलीम व भूरा पुत्रगण शेरदीन निवासी ग्राम खामपुर थाना बड़ौत जनपद बागपत द्वारा गैर-इरादतन हत्या करने की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बागपत पर मु0अ0सं0 190/13 धारा 304/323/34 भादवि पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 19.02.2025 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज कोर्ट-04 जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त सलीम व भूरा को दोषी पाते हुए प्रत्येक को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 28 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

@baghpatpolice baghpatpolice Baghpat Police